

प्रेषक,

गिरधारी सिंह रावत,
अपर सचिव।
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निर्देशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

संख्या-232/VI-3/2022-30(08)2021

सायबुद्धि
JD/DD/AD
कृपया पतावली के प्रस्तुत करें,

03.06.22

HA/JA

03/06/22

देहरादून : दिनांक 02 मई, 2022

विषय : मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अन्तर्गत राज्य के 08 वर्ष से 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रति जनपद 150-150 बालक-बालिकाओं को रू0 1500 प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-206/खेल नीति पत्रा0/2021-22, दिनांक 07 मई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किये जाने एवं उनकी खेल उपलब्धियों को बढ़ावा दिये जाने तथा उन्हें खेलों से जुड़े रहने एवं अधिक मनोयोग से खेलों में प्रतिभाग किये जाने तथा भविष्य के लिये खिलाड़ी तैयार किये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रति वर्ष मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष आवश्यक बैट्री टेस्ट एवं उसकी दक्षता की योग्यता के आधार पर 08 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रति जनपद 150-150 बालक-बालिकाओं (08 से 09 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 09 से 10 वर्ष के 25-25 खिलाड़ियों, 10 से 11 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 11 से 12 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी 12 से 13 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, 13 से 14 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी) को रू0 1500 प्रतिमाह दिये जाने की "श्री राज्यपाल महोदय" सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उदीयमान खिलाड़ियों को मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना का लाभ दिये जाने हेतु चयन सम्बन्धी एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश। (संलग्नक)

3- यह आदेश वित्त विभाग के ई ऑफिस आई0डी0 संख्या-1/39016/2022, दिनांक 30 मई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(गिरधारी सिंह रावत)
अपर सचिव।

“मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना” हेतु दिशा निर्देश।(II) उद्देश्य-

खेल नीति 2021 में “मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना” अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से 08 से 14 वर्ष के आयुवर्ग के कुल 150 बालक एवं 150 बालिकाओं का P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के माध्यम से चयन कर उन्हें भविष्य में श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रति माह रू0 1,500.00 छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार राज्य भर से प्रतिवर्ष 3900 सम्भावित खिलाड़ियों का एक पूल निर्माण होगा, साथ ही इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने हेतु प्रदेश भर में खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिस्पर्धी वातावरण सृजित होगा, जो दीर्घकाल में राज्य को सर्वोच्च स्तर पर खेल उपलब्धियां प्राप्त करने में सहायक होगा।

(III) छात्रवृत्ति हेतु पात्रता-

(1) खेल छात्रवृत्तियोजना हेतु ऐसे बालक एवं बालिकाएं पात्र होंगे जिनकी आयु 08 से 14 वर्ष के मध्य होगी एवं उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होंगे। आयु की गणना सम्बन्धित वर्ष की 01 जुलाई से की जाएगी। चयन प्रक्रिया यथा सम्भव प्रत्येक वर्ष 15 मई से 15 जून के मध्य सम्पन्न कर ली जायेगी।

(2) खेल छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक जिले से आयुवर्ग 08 से 09, 09 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 एवं 13 से 14 की श्रेणी में 25 बालक एवं 25 बालिकाओं का चयन निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूली अभिलेखों में दर्ज आयु मान्य होगी किन्तु जन्मतिथि में अन्तर की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र की आयु को ही अन्तिम माना जायेगा।

(3) खेल छात्रवृत्ति प्राप्ति के इच्छुक समस्त बालक बालिकाओं को शारीरिक दक्षता और खेल योग्यता परीक्षा हेतु एक निर्धारित P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होगा। चयन हेतु अन्तिम रूप से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मैरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं ही खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

(4) ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो विभागीय/राज्य सरकार अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन खेल छात्रावास अथवा स्पोर्ट्स कॉलेज में चयनित होकर सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वो सभी इस खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए अपात्र होंगे, अर्थात् उन्हें मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना में खेल छात्रवृत्ति हेतु प्रतिभाग करना प्रतिबन्धित होगा।

(III) चयन प्रक्रिया:-

(1) **शारीरिक दक्षता** (Strength, flexibility, Endurance **Speed, Coordination** etc) आदि के परीक्षण हेतु P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के अन्तर्गत 06 प्रतियोगिताएं परीक्षण हेतु आयोजित होगी, जिनके आंकलन हेतु अंकों का विवरण परिशिष्ट ‘क’ में अंकित है।

(2) सर्वप्रथम खेल निदेशालय द्वारा विज्ञापन के माध्यम से चयन का कार्यक्रम यथासंभव माह अप्रैल में प्रकाशित किया जायेगा।



(3) सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर एक पर्यवेक्षण समिति के दिशा निर्देशों पर सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया संपादित की जायेगी। किसी भी प्रकार के कोई भी विवाद के लिए यह पर्यवेक्षण समिति (Supervisory Committee) उत्तरदायी होगी, जो निम्न प्रकार होगी:-

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1- जिलाधिकारी- | अध्यक्ष |
| 2-मुख्य विकास अधिकारी- | सदस्य |
| 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 4-मुख्य चिकित्सा अधिकारी- | सदस्य |
| 5-जिला क्रीड़ा अधिकारी- | सदस्य सचिव |

(4) निदेशालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशन के तुरंत पश्चात पर्यवेक्षण समिति द्वारा निम्नानुसार चयन समितियों का गठन किया जायेगा, जो उपरोक्त संदर्भित प्रतियोगितात्मक परीक्षण विभिन्न चरणों में सम्पन्न करायेगे, प्रत्येक चयन समिति में न्यूनतम 02 सदस्य खेल अथवा शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण योग्यता धारक होंगे। विभिन्न समितियां निम्न प्रकार होंगी:-

1- जिला स्तरीय चयन समिति :	(अपर जिलाधिकारी अथवा समकक्ष प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में)
2- विकास खण्ड स्तरीय चयन समितियां :	(जिला स्तरीय अधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में)
3-नगर निगम/नगर पालिका स्तरीय चयन समिति :	(जिला स्तरीय अधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में)
4- न्याय पंचायत/नगर पंचायत :	:(वार्ड स्तरीय उप समितियां)

(5) सभी जनपदों में उनके विकास खण्ड, नगर निगम एवं नगर पालिकाओं से प्रत्येक आयुवर्ग में निम्न प्रकार चयनित बालक एवं बालिकाएं प्रतिभाग करेंगे:-

- 1- प्रत्येक विकास खण्ड से -06 (प्रति आयुवर्ग)
- 2- प्रत्येक नगर निगम से - 06 (प्रति आयुवर्ग)
- 3- प्रत्येक नगर पालिका परिषद से- 03 (प्रति आयुवर्ग)

(6) प्रत्येक विकास खण्ड स्तरीय प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रकार बालक एवं बालिकाएं भाग लेंगी:-

- 1- प्रत्येक न्याय पंचायत से- 02 (प्रति आयुवर्ग)
- 2- प्रत्येक नगर पंचायत से- 02 (प्रति आयुवर्ग)

(7) इसी प्रकार नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम को भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा वार्डों के समूह में विभाजित करते हुए 02 चरणों की चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जिसमें प्रारम्भिक चरण में उप समितियों द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्येक वार्ड समूह से प्रत्येक आयुवर्ग में 02-02 बालक एवं बालिकाओं का चयन किया जायेगा।

प्रत्येक नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में कितने वार्ड समूह होंगे, इसका निर्धारण उनके आकार के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली पर्यवेक्षण समिति करेगी।

(8) न्याय पंचायत/नगर पंचायत/वार्ड समूह के स्तर की चयन प्रक्रिया में प्रत्येक विद्यालय के अधिकतम 02 बालक/बालिकाएं प्रत्येक आयुवर्ग में प्रतिभाग कर सकेंगे। इन बालक-बालिकाओं का चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा स्वयं किया जायेगा। विद्यालय स्तरीय चयन हेतु P-SAT अंक प्रणाली (परिशिष्ट 'क' में संलग्न) की बाध्यता नहीं होगी, फिर भी व्यापक-प्रचार-प्रसार के माध्यम से उन्हें इस पद्धति की जानकारी दी जायेगी, ताकि प्रतियोगियों को चयन पद्धति के बारे में प्रारम्भिक स्तर पर जानकारी मिल सके।

(9) नगर निगम/नगरपालिका में उप समिति के स्तर पर यदि प्रतिभागियों की संख्या बहुत अधिक हो तो नियत-6 परीक्षणों में से मात्र कोई 02 परीक्षणों के आधार पर Screening Test छटनी के तौर पर सम्पन्न किया जा सकेगा। परन्तु शर्त यह होगी कि अन्तिम परीक्षण (पूर्ण 06 परीक्षाओं का P-SAT) में सम्मिलित होने वाले बालक एवं बालिकाएं, प्रत्येक आयुवर्ग में Screening Test के पश्चात न्यूनतम 08 होंगे। जिसमें से श्रेष्ठ 02 का चयन, अगले चरण के लिए किया जा सकेगा।

(10) चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए स्थल एवं समय का निर्धारण जिला स्तर से किया जायेगा।

(11) विभिन्न स्तरों की चयन टीमों का गठन हो जाने के तुरंत पश्चात जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा चयन समिति/उप समिति के सदस्यों को जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष प्रशिक्षकों/परीक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(12) जिला स्तर की चयन समिति द्वारा, प्रत्येक आयु वर्ग में, मैरिट के आधार पर, सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले 25 छात्र एवं 25 छात्राओंकी अन्तिम सूची जारी की जायेगी, जो खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। छात्रवृत्ति वितरण का कार्य जिलाक्रीड़ा अधिकारी द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

(13) जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी इसी प्रकार प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित होने वाले बालक बालिकाओं का रिकॉर्ड समिति/उप समितियों द्वारा रखा जायेगा, जो अंत में जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय में संरक्षित रहेगा।


(14) किसी भी आपत्ति हेतु आवेदक को ईवेंट खत्म होने के 01 घण्टे के अन्तर्गत सम्बन्धित स्तर की चयन समिति के समक्ष वैध कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसका सम्बन्धित स्तर की समिति द्वारा सकारण लिखित में आदेश निर्गत करते हुए 01 घण्टे के अन्तर्गत आपत्ति को निस्तारित करना आवश्यक होगा।

(15) इस खेल छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित/छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र एवं छात्रा खिलाड़ियों को खेल निदेशालय के अन्तर्गत विभागीय अवरस्थापना सुविधाओं, स्टेडियमों आदि में निःशुल्क प्रवेश/प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त होगी, जिसके लिए उन्हें सम्बन्धित जिले के जिला खेल अधिकारी द्वारा एक परिचय पत्र जारी किया जायेगा, जिससे लाभान्वित खिलाड़ी की पहचान हो सके और उस परिचय पत्र के माध्यम से वह खेल प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त कर सके।

चयनित छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण (Orientation)

1- चयन प्रक्रिया सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जिला क्रीडा अधिकारी द्वारा चयनित बालक-बालिकाओं का 01 दिवसीय गहन अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें उन्हें विभिन्न खेल गतिविधियों, पौष्टिक आहार, अनुशासन, प्रोत्साहित करने वाले अनेक प्रकरणों से परिचित कराया जायेगा एवं योजना के उद्देश्य की जानकारी भी दी जायेगी। इन बालक-बालिकाओं के अभिभावकों के बारे में जानकारी लेते हुए उनका एक समूह बनाकर जिला क्रीडा अधिकारी, विभिन्न खेल एवं शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को मिलाकर परस्पर सक्रिय एवं सकारात्मक वातावरण स्थापित करेंगे। इस अवधि में बालक बालिकाओं का P-SAT Score भी नोट किया जायेगा ताकि आगामी दिनों में इसमें होने वाली प्रगति को ट्रैक किया जा सके। 01 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला 05-06 माह के बाद पुनः आयोजित की जायेगी।

2- स्कूल स्तर पर भी सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं व्यायाम अध्यापक/खेल में रुचि रखने वाले अध्यापकों से भी चयनित बालक बालिकाओं की प्रगति को लगातार मॉनिटरिंग करने का अनुरोध किया जायेगा।


(गोकर्ण सिंह रावत)
अनु सचिव।

प्रेषक,

गिरधारी सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 29 जून, 2022

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अन्तर्गत राज्य के 08 वर्ष से 14 वर्ष तक के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रति जनपद 150-150 बालक-बालिकाओं को ₹ 1500 प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-432, दिनांक 09 जून, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेल विभाग के शासनादेश संख्या-232/VI-3/2022-30(08)2021, दिनांक 02 जून, 2022 के क्रम में शासनादेश में वर्णित चयन प्रक्रिया का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय लिपिकीय त्रुटिवश एवं टिप्पणी अंकित न होने के फलस्वरूप जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या चयनित किये जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या (अर्थात् 25 बालक/बालिकायें प्रति आयु वर्ग) से कतिपय जनपदों में कम हो जायेगी, को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-232/VI-3/2022-30(08)2021, दिनांक 02 जून, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्न प्रकार से पढ़ा एवं समझा जाय :-

“सभी जनपदों में उनके विकासखण्ड, नगर निगम एवं नगर पालिकाओं से प्रत्येक आयु वर्ग में निम्न प्रकार चयनित बालक एवं बालिकायें प्रतिभाग करेंगी :

1. प्रत्येक विकास खण्ड से - 06 (प्रति आयु वर्ग)
2. प्रत्येक नगर निगम से - 06 (प्रति आयु वर्ग)
3. प्रत्येक नगर पालिका परिषद से - 03 (प्रति आयु वर्ग)

टिप्पणी- जनपद-रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत से प्रति विकासखण्ड प्रति आयु वर्ग 10 बालक व 10 बालिकाएं तथा प्रति नगर पालिका 05 बालक एवं 05 बालिकाएं प्रति आयु वर्ग जिलास्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयनित किए जाएंगे।”

3- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-232/VI-3/2022-30(08)2021, दिनांक 02 जून, 2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कार्यालय-ज्ञाप की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(गिरधारी सिंह रावत)
अपर सचिव।